बिहार विधान-सभा वादवृत्त

मंगलवार तिथि 26 जून, 1990 ई०

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में मंगलवार तिथि 26 जून, 1990 को पूर्वाह्न 11 बजे अध्यक्ष, **श्री गुलाम सरवर** के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ ।

चन्द्रशेखर शर्मा
सचिव,
बिहार विधान-सभा

पटना
तिथि : 26 जून, 1990 ई०

सभापति : आप बैठ जायं। अब ध्यानकर्षण-सूचना, जिन पर सरकार का उत्तर हो चुका है, उन पर पूरक पूछे जायेंगे।

ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर पूरक प्रश्न एवं उस पर सरकारी वक्तव्य-

श्री जगदीश शर्मा : सभापति महोदय, सरकार ने अपने जवाब में बतलाया कि उच्च स्तरीय समिति का गठन हुआ था और इसमें निर्णय हुआ कि पुराने तटबंध को न बनाकर उसे सुरक्षा तटबंध में परिणत कर दिया जाय।

इसमें मुख्य अभियंता स्थल पर गये थे और उन्होंने स्थल पर जाकर, जांच कर यह प्रतिवेदन दिया है सरकार में कि यह निर्णय अव्यवहारिक है, बल्कि व्यवहारिक निर्णय होगा, जनता की सुरक्षा और जान-माल के हिसाब से कि जो पुराने तटबंध है उस पर इस काम को कराया जाय।

श्री जगदानन्द सिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने अभी जो जानकारी दी है कि मुख्य अभियंता का ऐसा कुछ प्रतिवेदन है, जैसा कि उन्होंने कहा, हम इसको देख लेंगे।

श्री जगदीश शर्मा : सभापति महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि अगर वह प्रतिवेदन विभाग में आ गया है तो क्या उसके अनुरुप कार्रवाई करेंगे?

श्री जगदानन्द सिंह : सभापति महोदय, यदि इस तरह का प्रतिवेदन होगा तो चूंकि हमारे अभियन्ता प्रमुख का प्रतिवेदन है और वे कोई निजी रुप से प्रतिवेदन नहीं दिया है-बिहार सरकार ने एक समिति बनाई थी जमींदारी तटबंध के बारे में न केवल उस

इलाके के बल्कि अन्य इलाकों के जमीन्दारी तटबंध के बारे में और उसको तीन कैटोगेरी में बाटा गया और ऐसे कैटोगेरी में यह तटबंध आता है, जिसे यह माना गया था कि इसे बनाना अव्यवहारिक है सिंचाई विभाग के द्वारा। इसका रख-रखाव यदि करना है तो राजस्व विभाग के द्वारा जो पुनर्वास विभाग करती है रख-रखाव काम, क्लक्टर के माध्यम से, उसके माध्यम से रख-रखाव का काम करना हैं, उसकी वह करे। चूंकि एक बड़ी कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है, लेकिन आपने कहा है कि मुख्य अभियंता की रिपोर्ट है, मुख्य अभियंता उनसे एक छोटे पद के पदाधिकारी है, लेकिन हो सकता है बाबजूद इसके वह सही प्रतिवेदन हो, तो उस कमिटी में रहे हुये व्यक्ति आज अभियन्ता प्रमुख है-तकनीकी दृष्टिकोण से जो जरुरी होगा। वह काम कर दिया जायेगा।

श्री जगदीश शर्मा : सभापति महोदय, उच्चस्तरीय समिति बनी थी, यह सही है। उच्च स्तरीय समिति बनी थी जमींदारी तटबंध को सिंचाई विभाग के अधीन देने के लिये। क्या सरकार को जानकारी है नवादा जिला और जहानाबाद जिला में एक तटबंध क्लजुगवा नदी पर है, उस पर सिंचाई विभाग वहीं अभियंता प्रमुख ने निर्णय लिया है कि उसके किनारे-किनारे जो तटबंध है, उसको बनाया जाय, दूसरी ओर, उसी तटबंध में फल्गु के बारे में अलग निर्णय लिया है?

(इस अवसर पर उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

श्री जगदानन्द सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कुछ भी निर्णय है, पूर्व का निर्णय है, लेकिन बावजूद इससे सरकार अलग

नहीं जा सकती है, उस इलाके की आवश्यकता और तकनीकी दृष्टिकोण से निर्माण इन दोनों को समंजश करते हुये जो भी उचित निर्णय होगा यह करने का आश्वासन हम देते हैं।

श्री जगदीश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, एक सवल और है। इस बार जो बरसात आने वाली है और उसमें जो कमजोर तटबंध जो जगह-जगह पर हैं, इसकी मरम्मति अति आवश्यक है, या नहीं होने से बाढ़ आयेगी और सैकड़ों-हजारों एकड़ जमीन पानी में चली जायेगी, उसकी बचाने के लिए मुख्य अभियंता ने 11 लाख की जो निविदा आमंत्रित की इसमें अतिशीघ्र काम करने का आदेश आप देने जा रहे हैं?

श्री जगदानन्द सिंह : उपाध्यक्ष मोदय, माननीय सदस्य फिर मूल सवाल पर चले आये और मूल सवाल का जवाब पहले हमने दिया है। उच्चाधिकारी समिति ने यह माना कि नदी के किनारे-किनारे किसी तटबंध का निर्माण तकनीकी दृष्टिकोण से सही नहीं है क्योंकि कटाव के कारण तटबंध का रख-रखाव मुश्किल हो जाता है। जमींदारी के जमाने में जो जमींदारी तटबंध बने है।

उपाध्यक्ष महोदय, जमींदारों के जमाने में जो तटबंध बना है, वह टेकनिकली ठीक नहीं है, उस समय के जमींदार कम खर्च पर जो रख-रखाव का काम होता था, उन्हीं का निर्माण किया। लेकिन सिंचाई विभाग द्वारा जब किसी तटबंध का निर्माण करता है तो बांध टूटने का कोई खतरा नहीं है, भयंकर बर्बादी नहीं है। नून नदी के दोनों तरफ कैनाल जाता है। यह कैनाल आ॰ दूरी पर है। फल्गू नदी से अलग दोनों तरफ कैनाल जाता है। यही से आगे कुछ दूरी पर हैं एक कैनाल का एक बैक लेकर यदि ऊँचा कर देते हैं तो तटबंध

का काम करेगा और लोगों को जो रक्षा होनी चाहिए, वह रक्षा हो जायेगी। माननीय सदस्य का यह सवाल है कि मुख्य अभियंता ने कोई प्राक्कलन बनाया है, जो पुराने जमींदारी तटबंध हैं, उसके रख–रखाव का काम हो? पैसा तो है, लेकिन मूल प्रश्न यह है कि यदि तकनीकि दृष्टि से सही होगा तो उस काम को करा दिया जायेंगा?

श्री जगदीश शर्मा : चूंकि बाढ़ का समय समाप्त हो गया, निविदा भी आमंत्रित किया गया है, इसलिए उपध्यक्ष महोदय, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूँ। इसमें आपका निदेश माननीय मंत्री को होना चाहिए कि इस बरसात के पहले इस काम को शुरू करा दिया जाय?

श्री जगदानन्द सिंह : उपध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भी नहीं चाहेंगे कि उस तटबंध पर खर्च हो, इस बरसात और बाढ़ के टाइम में। लोगों को कहने का मौका मिलेगा कि सारे पैसे का अपव्यय हो गया। यह पैसा राज्य के खजाने का है। हम तकनीकि दृष्टि से जहाँ जरूरत होगा, वहाँ पैसा खर्च किया जायेगा। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा हम बर्बाद करने नहीं जा रहे हैं।

श्री राम विलास मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में जवाब दिया, वह बिल्कुल गलत जवाब है। क्या मंत्री जी बतलायेंगें कि 23 जनवरी, 1979 को नून नदी जल सिसरण योजना ली गयी, जो आज तक पूरी नहीं हुई, 11 वर्षों में, पुरी नहीं हुई, इसका क्या कारण है?

श्री जगदानन्द सिंह : माननीय सदस्य ने शायद प्रश्न का जवाब ठीक से नहीं सुना है। मैंने स्वयं इस बात को माना है कि

योजना का काम त्वरित गति से होना चाहिए था, लेकिन इस योजना में लंबा समय बीत गया। तटबंध में मिट्टी का जो कार्य था, वह पूरी लंबाई में कर दिया गया। बीच-बीच में लोगों ने गैप छोड़ दिया, जो पक्का स्ट्रकचर का काम करना था। हम स्वयं इस बात को मानते हैं कि यदि उस स्ट्रकचर में और तटबंध का काम हुआ होता, तो आधे इलाके को बचाया जा सकता था। आज करीब-करीब 90 प्रतिशत मिट्टी का काम हो गया है, लेकिन जहाँ पक्के स्ट्रकचर मे निर्माण का सवाल है, 15 प्रतिशत ही हुआ है। माननीय सदस्य आप भी जानते हैं कि इस तीन महीने के भीतर काम होना मुश्किल है। बावजूद इसके कि जो पैसा आवंटित किया पक्का स्ट्रक्चर के लिए आवंटित किया। तीन करोड़ रुपये और लगेंगें, सारे पक्के के स्ट्रकचर के निर्माण करने में। अब तक जो भी विलंब हुआ, यदि उसे स्वीकार कर लें, उस दोष को भी तो और उसको सरकार मंजूर करते हुए आश्वासन देना चाहती है कि आने वाले बरसात के पूर्व सारे गैप को भरकर तटबंध को पूरा कर देंगे।

श्री राम विलास मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को पता है कि नून से संबंधित सुलतानपुर लिंक चैनल है उसमें आर॰ डी॰ 1009 से लेकर 2500 तक के जितने गांव है वे बिल्कुल डूबे हुए मालूम होते हैं?

श्री जगदानंद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो कहा नहीं कि वह तटबंध अपूर्ण हैं। बीच-बीच में गैप है और उसी गैप को पूरा करने के लिए हमने बताया है।

श्री राम विलास मिश्र : जो लिंक चैनल है जो गंगा नदी में मिलती है नून नदी से उसके जल निकासी के लिए प्रमुख द्वार है

नून नदी जल निस्सरण योजना में उसमें आर० डी० 19 सौ से लेकर 2500 तक बिल्कुल जल मग्न है उसमें एक छिटा भी मिट्टी का काम नहीं किया गया है इसका क्या कारण है, जिस कारण भी समय पर योजना पूरी नहीं हुई है और काम ठप्प पड़ा हुआ है?

श्री जगदानंद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसी योजना है जो तटबंध का काम करेगी और ड्रेनेज का भी काम करेगी। हम नदी को दो तरफ से बांध रहे हैं और उस इलाके का पानी भी हमारी नदी में आए और सारा पानी बहकर किसी दूसरे स्थान पर चले जाए।

श्री राम विलास मिश्र : मेरा प्रश्न है नून नदी के निकासी के लिए लिंक चैनल बन रहा है 1900 आर० डी० तक का काम हो गया है सिर्फ 1900 आर० डी० से 2500 आर० डी० तक एक किलोमीटर में काम बिलकुल रुका हुआ है इसका क्या कारण है?

श्री जगदानंद सिंह : ऐसी हमारे पास सूचना नहीं है लेकिन मैं आश्वासन देना चाहतो हूँ कि पूरी योजना आने वाले समय में पूरा कर दी जायेगी। उसका यह भी हिस्सा उस आश्वासन में आता है। मैंने कहा कि अब यह काम करने का वक्त नहीं है। उसको सरकार नहीं कर सकती है। अभी यह काम करने से माननीय सदस्य की मंशा भी पूरी नहीं होगी और पैसा भी पानी में बह जायेगा।

श्री राम विलास मिश्र : एक प्रश्न और पूछना है कि 11 वर्ष से योजना पूरी नहीं हुई, अब कितने दिनों के अंदर यह योजना पूरी हो जायेगी, समय सीमा बतायें?

श्री जगदानंद सिंह : मैंने मूल प्रश्न के जवाब में कहा था कि अभी आवंटन 22 लाख रु॰ का है जबकि इसमें साढ़े तीन करोड़ रुपया खर्च करना है। साढ़े तीन करोड़ रुपये का प्रावधान कर आने वाले बरसात के पूर्व इस काम को पूरा कर देंगे।

उपाध्यक्ष : अब राज्य में विद्युत संकट पर सराकर का वक्तव्य होगा ।

विद्युत संकट पर सरकार का वक्तव्य

श्री राम जतन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के पास न फाईल है न कुछ है इसी से समझ लीजिये सरकार कितनी सीरियस है।

श्री जगदानंद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो फाईल का सहारा लेकर बोलते रहे हैं उन्होंने ही बिहार को नाश करने का काम किया है। आप जो जानकारी चाहें ले सकते हैं, मैं बिना फाईल के भी दे सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, जो संकट राज्य में आज से दो दिन पूर्व इस बिहार राज्य में आया वह अपने आप में एक अभूतपूर्व संकट था । मैं माननीय सदस्यों को जानकारी कराने में यदि सहमत नहीं हो पाऊं और इस जानकारी के बाद यदि आप समझते हों कि कहीं पर सरकार का दोष है तो आप जो कुछ भी भी आरोप लगायेंगे जो भी दंड़ सुनिश्चित करेंगे उससे हम हटने वाले नहीं है। मेरी बातों को सुनिये इसलिए कि जनता और उनके प्रतिनिधि को यह जानने का हक है कि किस कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। मात्र दो रोज पूर्व अपने आप 15 मिनट बिजली कटी थी। हमारे सारे पुराने